न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारीउदयपुर

पीठासीनअधिकारी :–अनीतामीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2020(राजसमन्दआर्डर)

1. नारायण पितामोहन,जातिगुर्जर,निवासीभावा,तहसीलवजिलाराजसमन्द (राज.)
2. बाबूलालपितामोहन, जातिगुर्जर, निवासीभावा, तहसील व जिलाराजसमन्द (राज.)
3. श्यामुपितामोहन, जातिगुर्जर, निवासीभावा, तहसील व जिलाराजसमन्द (राज.)
4. चन्द्रीबाईपत्नीमोहन, जातिगुर्जर, निवासीभावा, तहसील व जिलाराजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भग्गापिताउदा, जातिगुर्जर, निवासीभावा, तहसील व जिलाराजसमन्द (राज.)
2. हीरापिताउदा, जातिगुर्जर, निवासीभावा, तहसील व जिलाराजसमन्द (राज.)
3. राजस्थानराज्य जरियेतहसीलदार, कुवांरिया, जिलाराजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलअन्तर्गत धारा225राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम–1955विरूद्ध निर्णयसहायककलक्टर एवंउपखण्डअधिकारीराजसमन्दप्रकरण संख्या 184/2013 दिनांक18.02.2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्रीमुकेशतलेसराअभिभाषकअपीलान्टगण
2. राजकीय अभिभाषकरेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णयदिनांक31–08–2022

प्रकरण के संक्षेपमेंतथ्यइसप्रकारहैकिअधिनस्थन्यायालय मेंहालअपीलान्टगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम एवंआदे ा 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. काप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिग्रामभावामें खाता संख्या 405 मेंकुलकिता 57 रकबा 92 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या 170 मेंकिता 3 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 203 मेंकिता 6 रकबा 34 बीघा 6 बिस्वा एवं खाता संख्या 69 मेंकिता 1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वाभूमिस्थितहै,जिसकावर्णनप्रार्थनापत्र के साथसंलग्नपरिशिष्ठ अ,ब,स,द मेंकियागयाहै।उक्तभूमियांप्रार्थीगण व विपक्षीगण की पैत्रक भूमियांहोकरउन्हेंविरासतसेप्राप्तहुईहैं, लेकिनविपक्षीगण के प्रार्थीगण के दादाउदापिताजोधा के स्वर्गवास के उपरान्तप्रार्थीगण के पितामोहनकोगोदजानाबताकरबाले–बालेभूमियांअकेले के नामदर्जकरवाली, जबकिप्रार्थीगण के पितामोहनकभीगोदनहींगये एवंअपनेहिस्से की भूमिपरअपनेजीवनकालमेंकाबिजरहे एवं उनके बादप्रार्थीगणकाबिजचलेआरहेहैंतथाउनकाजन्मसेअधिकारहै।अतः विपक्षीगणकोइसआ ाय की जरियेअस्थाईनिषेधाज्ञापाबन्दकियाजावेकिवेप्रार्थनापत्र मेंअंकितउक्तभूमिमेंप्रार्थीगण के उपयोगउपभोगमेंकिसीप्रकार की बाधा एवं दखलन्दाजीउत्पन्ननहींकरेंतथाविपक्षीगणउक्तभूमिअन्य कोअन्तरणनहींकरें।

विपक्षीगण खण्डनकाजवाबप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिप्रार्थीगण के पितामोहन रूपापिताजोधा के यहांगोदचले गये व रूपा की सारीजायदादमोहनकोप्राप्तहुई [illegible] के नामसहीतरीकेसेअंकितहुईहैं।अतः प्रार्थीगणक[illegible] खारिजकियाजावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थन्यायालय ने उभयपक्षों की बहससुनकरअपनेनिर्णय दिनांक18–02–2020 सेप्रार्थीगणकाप्रार्थनापत्र खारिजकरदिया, जिससे रूष्ट होकरअपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारादिनांक23–06–2020 कोइसन्यायालय में यह अपीलप्रस्तुत की गयीहै।

अपीलदर्जरजिस्टर की जाकररेस्पोन्डेन्टगणकोतलबकियेजानेपररेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओरसेराजकीय अभिभाषकउपस्थितहुए एवंबहसमेंभागलिया शेषरेस्पोन्डेन्टबावजूदसूचनाअनुपस्थितरहे।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीतलब की जाकरउभयपक्ष की बहससुनीगयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथदफा 5 जाब्तामियादकाआवेदनप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिकोविडमहामारीकाप्रकोपहोनेसेलॉकडाउन घोषितथा, जिससे 15 मार्च 2020 सेन्यायिककार्यनहींहुए, जिसकारणअपील समय परप्रस्तुतनहीं की जासकी।अपीलान्ट ने जानबूझकरकोईविलम्बनहींकियाहै।अतः अपीलअन्दरमयाद शुमारफरमाईजावे।ताईदमें शपथपत्र भीप्रस्तुतकिया।

हमनेउक्तआवेदनकाअवलोकनकरपत्रावलीकामननकिया।प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगतन्यायहितमेंमयादकण्डोन की जाकरअपीलअन्दरमियाद शुमार की जातीहै।

विद्वानवकीलअपीलान्ट ने अपीलमीमोंमेंवर्णिततथ्योंकोपुनः वक्तबहसदोहराया एवंबतायाकिअधिनस्थन्यायालय ने इसबिन्दुपरविचारनहींकियाकिविवादितभूमियांपैत्रृक जायदादहैं, जोउदापिताजोधा के विरासतसेअपीलान्टगणकोप्राप्तहुईहैं।हिन्दूविधि अनुसारपैत्रृक सम्पत्तिपरपक्षकारानकाजन्मसेअधिकारनिहितहोताहै।अधिनस्थन्यायालय ने मोहनको रूपाकागोदपुत्र मानतेहुए अपीलान्टगणकाअस्थाईनिषेधाज्ञाकाप्रार्थनापत्र खारिजकियाहै, जोविधि के विपरीतहै।अतः अपीलअपीलान्टस्वीकारकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णय निरस्तकियाजावेतथाअपीलान्ट द्वाराचाहागयाअनुतोषउसेदिलायाजावे।

विद्वानराजकीय अभिभाशक ने प्रकरणमेंराजकीय हितनिहितनहींहोनेसेप्रकरणकानिस्तारणगुणावगुणपरकरनेकानिवेदनकिया।

हमनेउभयपक्षों की बहसपरमननकिया एवंपत्रावलीकाअवलोकनकिया।अधिनस्थन्यायालय ने अपनेविवेचनमेंस्पष्ट रूपसेअंकितकियाहैकि''प्रार्थी के पितामोहन रूपा के गोदचलेजानेसेउन्हें रूपा की भूमियांप्राप्तहोकरमोहन के नामअंकितहुईहैं।प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने गोदपितासेसम्पत्तिप्राप्तकरलीहै, जिससेअब उनके द्वारामूलपिताकी सम्पत्तिमेंकोईहकक्लेमनहींकियाजासकताहै।''अधिनस्थन्यायालय काउपरोक्तविवेचनपत्रावलीपरउपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूपहोकरविधि सम्मतहै, जिसमेंहमउसमेंकिसीप्रकारकाहस्तक्षेपकरनाउचितनहीं समझतेहैं।

अतः अपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जाकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णय दिनांक18–02–2020 यथावत रखाजाताहै।

पत्रावलीबादपूर्णप्रविश्टिनंबरसे कम होकरदाखिलदफ्तरहो।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीलौटाईजावे।निर्णय आजदिनांक31–08–2022को खुलेन्यायालय मेंसुनायागया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested